

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 835

दिनांक 28/05/25

अनवान :-

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
शक्तिदान वगैरा	बनाम	अणसीदेवी वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 210/2024

दिनांक : 27.05.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठौडान के मौजा मले का तला के खेत खसरा सं. 46 रकबा 38.2751 हैक्टर एवं मौजा बूठ राठौडान के खेत खसरा सं. 345 रकबा 04.6620 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थिगण के हितो पर कुठाराघात न हो, प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/ 836 to 839

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी शक्तिदान वगैरा
3. विप्रार्थीगण अणसीदेवी वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनारू/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 28/05/25



(कुसुमलता/अनवान)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन